

प्रधान महालेखाकार (ले प I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM



सं.Au/Admn/III/MACPS/Vol.XII

दिनांक: 16.10.2024

अनुभागीय आदेश सं. 233/SECTIONAL ORDER No. 233

'केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी)' के तहत श्री शशिधरन के जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को नीचे दिए गए विवरणानुसार दिनांक 16.10.2024 से वित्तीय प्रोन्नित प्रदान की जाती है।

Financial upgradation under MACP Scheme for Central Government employees has been granted to Shri.Sasidharan KG, Senior Audit Officer as detailed below with effect from 16.10.2024.

मौजूदा स्तर Existing Level	नया स्तर New Level	पात्रता की तिथि Date of Eligibility	उन्नयन की स्थिति Status of Upgradation
Level 10	Level 11	16.10.2024	2 nd MACP

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय पदोन्नित प्रदान करने पर वेतन नियतन का लाभ भी दिया जाएगा। यदि वे FR 22(I)(a)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If he intends to exercise option under FR 22(I)(a)(1), he should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने पर, पदनाम, वर्गीकरण अथवा उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालाँकि, वित्तीय और कुछ अन्य कुछ हितलाभ जो किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन से जुड़े हैं जैसे कि एचबीए, सरकारी आवास का आवंटन, की अनुमित दी जाएगी।

On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उनकी विरष्ठता स्थिति से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। योजना के तहत वेतन नियतन के कारण किनष्ठ को विरष्ठ से अधिक वेतन मिलने के संबंध में वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. No stepping up of pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

(प्रधान महालेखाकार के दिनांक 29.08.2024 के आदेशानुसार / Vide orders dated 29.08.2024 of Accountant General)

प्रतिलिपि / Copy to:

- 1. अनु आ पुस्तिका/SO Book
- 2. श्री शशिधरन के जी, व ले प अ / Shri.Sasidharan KG, Sr.AO
- 3. सभी समूह अधिकारीगण All Group Officers
- 4. सभी शाखा कार्यालय All Branch Offices
- 5. वरि.लेप.अ. /का.स्था. , शाखा कार्यालय तृशूर / Sr.AO/OE, Br.Office, Thrissur

- Senior Audit Officer (Admn.)
- 6. का.स्था. (बिल्स /रोकड़ /हक) –ले.प. I OE (Bills/Cash/Entt) Au I
- 7. पी ए ओ/PAO I, II, III
- 8. गो.कक्ष /हिंदी कक्ष /आईए अनुभाग लेप.I / C.Cell/Hindi Cell/IA Section- Au I
- 9. सेवा संगठन / Service Associations
- 10. सूचना पट्ट / Notice Board
- 11. व्यक्तिगत फाइल / Personal File